जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक 11.05.2025

थाना महुली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आत्महत्या करने जा रहे युवक को उसके घर अविलम्व पहुँचकर बचाई गई जान

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डे*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी महुली ***श्री रजनीश राय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 10.05.2025 की रात्रि में आत्महत्या करने जा रहे एक युवक की अविलम्ब उसके घर पहुँचकर जान बचायी गयी तथा युवक को दवा ईलाज हेतु चिकित्सालय भेजवाया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 10.05.2025 को 21.20 बजे थाना महुली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हरसाईं चौकी काली जगदीशपुर थाना महुली अंतर्गत एक युवक उम्र करीब 22 वर्ष द्वारा अज्ञात कारणों से घर के अन्दर ही फांसी लगा ली गई है। इस सूचना पर थाना महुली पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त युवक के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा गया, तो युवक द्वारा फांसी लगाया जा रहा था। थाना महुली पुलिस द्वारा युवक को सकुशल उतारकर परिजनों के साथ सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया। वर्तमान समय में युवक की हालत ठीक है। युवक को उसके परिजनों को सुपुर्द करते हुए मुनासिब हिदायत दी गयी। युवक द्वारा दोबारा ऐसी हरकत न करने के सम्बन्ध में समझाया गया। परिजनों ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी व आभार जताया गया।

पुलिस टीम का विवरण

01. चौकी प्रभारी काली जगदीशपुर श्री अमित कुमार कुशवाहा, का0 सनी यादव, का0 सुदीप कुमार, का0 राहुल कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 19 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेहंदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5999 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल - पीआरवी 5999 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत पौली चौकी के सामने से कालर ने ईरिक्शा द्वारा साइकिल को टक्कर लगने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.इरशाद पुत्र अब्दुल वहार ग्राम नन्दौर थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहाय़ता से सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 राजेश यादव, हो0चा0 नागेन्द्र प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 215 वाहनों से 2,30,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 11.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 215 वाहनों से 2,30,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गोवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध व अपराधियों की रोकथाम के दृष्टिगत अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 369/2025 धारा 3/5 ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त नाम पता बब्लू पुत्र स्व0 कमल सिंह निवासी धकतोरा थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा को मेंहदावल बाईपास के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 04.05.2025 को सुबह 11.00 बजे थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत बरदहिया बाजार से सूचना मिली थी कि एक कबाड़ लदा पिकप ट्रक (रजि0नं0 UP23AT6956) श्रीराम मार्बल्स, बरदहिया बाजार के पास खड़ा है जिसका टायर पंचर है । प्रभारी चौकी बरदहिया द्वारा पिकप ट्रक से कबाड़ हटवाने पर अन्दर 06 गोवंशीय पशु बरामद हुए हैं। तत्काल पिकप ट्रक को कब्जे में लेकर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित थी। आज दिनांक 11.05.2025 को उक्त अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

बब्लू पुत्र स्व0 कमल सिंह निवासी धकतोरा थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 369/2025 धारा 3/5 ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, हे0का0 दुर्गेश यादव।